**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 282**
**दिनांक 19 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी)**

**282: श्री नीरज डांगीः**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे पीएचसी और सीएचसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके सुधार के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने देश में ऐसे केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी पर ध्यान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)**

(क): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। आरएचएस 2020-21 के अनुसार, देश में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की संख्या 30,579 है और देश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) की संख्या 5,951 है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के माध्यम से और त्रैमासिक वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से प्रमुख सुपुर्दगी पर प्रगति को दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट और मंत्रालय के अधिकारियों के नियमित निगरानी दौरों के अलावा वर्ष के लिए प्रमुख सुपुर्दगी पर प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

कई अन्य तंत्र जैसे, वार्षिक सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम); प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस) और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) जैसे बाहरी सर्वेक्षणों के आंकड़े भी कार्यान्वयन नीतियों में पाठ्यक्रम सुधार के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, एनएचएम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग सहित अवसंरचना संबंधी कार्यों की तृतीय-पक्ष मानीटरिंग तंत्र की भी परिकल्पना की गई है।

जिला स्तर पर, संसद सदस्य की अध्यक्षता में दिशा समितियां एनएचएम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती हैं। उच्च गुणवत्ता पूर्ण रोगी परिचर्या को सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही उपाय के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) से ऊपर जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियों (आरकेएस) की स्थापना की जाती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पंचायती राज संस्थाओं और महिला आरोग्य समिति के प्रतिनिधित्व वाली ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) का गठन किया गया है, ताकि स्वास्थ्य के सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों का पता लगाने का कार्य करने में समुदायों के लिए एक सक्रिय भूमिका को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(घ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है, जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में मानव स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों- डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है जिसमें संविदात्मक आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन में वृद्धि करना शामिल है जिसमें राज्यों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में दी गई और उनके समग्र संसाधन स्रोतों में आवश्यकताओं के आधार पर समान, किफायती स्वास्थ्य परिचर्या के प्रावधान के लिए डॉक्टरों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की सोर्सिंग या नियुक्ति के लिए सहायता शामिल है।

सरकार ने देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की संख्या में बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं - जैसे कि देश भर के विभिन्न चिकित्सा शिक्षण संस्थानों/मेडिकल कॉलेजों में यूजी /पीजी स्तर पर सीटों की संख्या बढ़ाना, जो पिछले 7 वर्षों में 70% से अधिक की वृद्धि है; डॉक्टरों को दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना; राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विशेषज्ञ सेवाओं के 'अनुबंध' में और 'अनुबंध' के बाहर जैसे विभिन्न तंत्रों द्वारा जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए लचीले मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अतिरिक्त, एनएचएम देश में ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि और मानदेय प्रदान करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्वीकृत पदों पर रिक्तियों को भरने का आग्रह किया गया है। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) - 2020-21 के अनुसार, ग्रामीण और शहरी -दोनों क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता और उनकी कमी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति **अनुलग्नक II** में दी गई है।.

****

**अनुलग्नक-I**

**ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे पी एच सी, सी एच सी की राज्यवार संख्या**

| ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे पी एच सी, सी एच सी की संख्या | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य छेत्र | पी एच सी | | | सी एच सी | | |
| | | ग्रामीण | शहरी | कुल | ग्रामीण | शहरी | कुल |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1142 | 259 | 1401 | 141 | 57 | 198 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 122 | 5 | 127 | 57 | 0 | 57 |
| 3 | असम | 948 | 53 | 1001 | 197 | 2 | 199 |
| 4 | बिहार | 1932 | 102 | 2034 | 306 | 0 | 306 |
| 5 | छत्तीसगढ | 769 | 52 | 821 | 166 | 3 | 169 |
| 6 | गोवा | 23 | 4 | 27 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | गुजरात | 1477 | 322 | 1799 | 333 | 27 | 360 |
| 8 | हरियाणा | 384 | 100 | 484 | 124 | 13 | 137 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 553 | 19 | 572 | 98 | 0 | 98 |
| 10 | झारखंड | 291 | 59 | 350 | 171 | 5 | 176 |
| 11 | कर्नाटक | 2141 | 390 | 2531 | 182 | 30 | 212 |
| 12 | केरल | 782 | 158 | 940 | 213 | 16 | 229 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 1234 | 284 | 1518 | 295 | 25 | 320 |
| 14 | महाराष्ट्र | 1839 | 651 | 2490 | 270 | 131 | 401 |
| 15 | मणिपुर | 86 | 9 | 95 | 17 | 0 | 17 |
| 16 | मेघालय | 121 | 24 | 145 | 28 | 0 | 28 |
| 17 | मिजोरम | 62 | 6 | 68 | 9 | 0 | 9 |
| 18 | नगालैंड | 131 | 7 | 138 | 21 | 0 | 21 |
| 19 | उड़ीसा | 1288 | 91 | 1379 | 377 | 7 | 384 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | पंजाब | 422 | 100 | 522 | 150 | 10 | 160 |
| 21 | राजस्थान | 2130 | 264 | 2394 | 589 | 68 | 657 |
| 22 | सिक्किम | 24 | 2 | 26 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | तमिलनाडु | 1422 | 464 | 1886 | 385 | 15 | 400 |
| 24 | तेलंगाना | 636 | 227 | 863 | 85 | 10 | 95 |
| 25 | त्रिपुरा | 108 | 8 | 116 | 22 | 0 | 22 |
| 26 | उत्तराखंड | 245 | 42 | 287 | 53 | 19 | 72 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 2923 | 593 | 3516 | 753 | 12 | 765 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 915 | 454 | 1369 | 348 | 0 | 348 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 22 | 5 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | 42 | 42 | 0 | 2 | 2 |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| 32 | दिल्ली | 5 | 544 | 549 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 891 | 82 | 973 | 63 | 16 | 79 |
| 34 | लद्दाख | 32 | 0 | 32 | 7 | 0 | 7 |
| 35 | लक्षद्वीप | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 36 | पुदुचेरी | 24 | 15 | 39 | 3 | 1 | 4 |

*टिपणी :*

*चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है*

*दिल्ली में कोई सी एच सी नहीं है*

**अनुलग्नक -II**

| ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | (31मार्च 2021 तक ) | | | | |
| | | अपेक्षित | स्वीकृत | पद पर हैं | रिक्त | कमी |
| | | [आर] | [एस] | [पी] | [एस-पी] | [आर-पी] |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1142 | 2146 | 2001 | 145 | * |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 122 | 114 | 135 | * | * |
| 3 | असम | 948 | 1677 | 1383 | 294 | * |
| 4 | बिहार | 1932 | 4317 | 2902 | 1415 | * |
| 5 | छत्तीसगढ | 769 | 874 | 498 | 376 | 271 |
| 6 | गोवा | 23 | 96 | 87 | 9 | * |
| 7 | गुजरात | 1477 | 1903 | 1679 | 224 | * |
| 8 | हरियाणा | 384 | 812 | 655 | 157 | * |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 553 | 618 | 517 | 101 | 36 |
| 10 | झारखंड | 291 | 291 | 278 | 13 | 13 |
| 11 | कर्नाटक | 2141 | 2406 | 1801 | 605 | 340 |
| 12 | केरल | 782 | 1500 | 1431 | 69 | * |
| 13 | मध्य प्रदेश | 1234 | 1887 | 1307 | 580 | * |
| 14 | महाराष्ट्र | 1839 | 4021 | 3252 | 769 | * |
| 15 | मणिपुर | 86 | 337 | 308 | 29 | * |
| 16 | मेघालय | 121 | 175 | 162 | 13 | * |
| 17 | मिजोरम | 62 | 0 | 58 | * | 4 |
| 18 | नगालैंड | 131 | 97 | 123 | * | 8 |
| 19 | उड़ीसा | 1288 | 1331 | 926 | 405 | 362 |
| 20 | पंजाब | 422 | 610 | 401 | 209 | 21 |
| 21 | राजस्थान | 2130 | 2463 | 2101 | 362 | 29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | सिक्किम | 24 | 39 | 38 | 1 | * |
| 23 | तमिलनाडु | 1422 | 2991 | 2725 | 266 | * |
| 24 | तेलंगाना | 636 | 1254 | 1213 | 41 | * |
| 25 | त्रिपुरा | 108 | NA | 230 | NA | * |
| 26 | उत्तराखंड | 245 | 416 | 301 | 115 | * |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 2923 | 4448 | 3093 | 1355 | * |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 915 | 1533 | 955 | 578 | * |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 22 | 53 | 50 | 3 | * |
| 30 | चंडीगढ़ | 0 | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 12 | 22 | 22 | 0 | * |
| 32 | दिल्ली | 5 | 19 | 16 | 3 | * |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 891 | 1542 | 965 | 577 | * |
| 34 | लद्दाख | 32 | 93 | 45 | 48 | * |
| 35 | लक्षद्वीप | 4 | 13 | 13 | 0 | * |
| 36 | पुदुचेरी | 24 | 45 | 45 | 0 | * |

*टिप्पणियां: एन ए-उपलब्ध नहीं है एन एप - लागू नहीं*

+: *एलोपैथिक डॉक्टर*

*कुल राज्यों /संघ राज्यों के आधिक्य डॉक्टरों को ध्यान में न रखते हुए अखिल भारतीय रिक्तियों और कमी के आंकड़े राज्य-वार रिक्ति और कमी के जोड हैं।*

*: *आधिक्य.*

[1] *आई पी एच एस के मानदंडों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक।*

[2] *रिक्ति के समग्र प्रतिशतता की गणना के लिए, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, जहां पद उपलब्ध नहीं है, को शामिल नहीं किया गया है।*

| शहरी क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. No. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | (31 मार्च, 2021 तक) | | | | |
| | | अपेक्षित | स्वीकृत | पद पर हैं | रिक्त | कमी |
| | | [आर] | [एस] | [पी] | [एस-पी] | [आर-पी] |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 259 | 312 | 305 | 7 | * |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 1 | 25 | * | * |
| 3 | असम | 53 | 84 | 64 | 20 | * |
| 4 | बिहार | 102 | 220 | 30 | 190 | 72 |
| 5 | छतीसगढ | 52 | 112 | 187 | * | * |
| 6 | गोवा | 4 | 7 | 6 | 1 | * |
| 7 | गुजरात | 322 | 427 | 186 | 241 | 136 |
| 8 | हरियाणा | 100 | 100 | 85 | 15 | 15 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 19 | 22 | 20 | 2 | * |
| 10 | झारखंड | 59 | 77 | 48 | 29 | 11 |
| 11 | कर्नाटक | 390 | 414 | 364 | 50 | 26 |
| 12 | केरल | 158 | 274 | 258 | 16 | * |
| 13 | मध्य प्रदेश | 284 | 250 | 153 | 97 | 131 |
| 14 | महाराष्ट्र | 651 | 1164 | 1014 | 150 | * |
| 15 | मणिपुर | 9 | 19 | 18 | 1 | * |
| 16 | मेघालय | 24 | 10 | 25 | * | * |
| 17 | मिजोरम | 6 | 0 | 6 | * | 0 |
| 18 | नगालैंड | 7 | 2 | 7 | * | 0 |
| 19 | उड़ीसा | 91 | 115 | 94 | 21 | * |
| 20 | पंजाब | 100 | 177 | 145 | 32 | * |
| 21 | राजस्थान | 264 | 375 | 349 | 26 | * |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | सिक्किम | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | तमिलनाडु | 464 | 647 | 579 | 68 | * |
| 24 | तेलंगाना | 227 | 498 | 470 | * | * |
| 25 | त्रिपुरा | 8 | NA | 9 | NA | * |
| 26 | उत्तराखंड | 42 | 44 | 37 | 7 | 5 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 593 | 608 | 453 | 155 | 140 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 454 | 914 | 616 | 298 | * |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 5 | 10 | 10 | 0 | * |
| 30 | चंडीगढ़ | 42 | 71 | 75 | * | * |
| 31 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | दिल्ली | 544 | 1136 | 1059 | 77 | * |
| 33 | जम्मू और कश्मीर | 82 | 111 | 84 | 27 | * |
| 34 | लद्दाख | 0 | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* |
| 35 | लक्षद्वीप | 0 | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* |
| 36 | पुदुचेरी | 15 | 25 | 25 | 0 | * |

*टिप्पणियां* *एन ए-उपलब्ध नहीं है* *एन एप - लागू नहीं*

+:*एलोपैथिक डॉक्टर*

*कुल राज्यों /संघ राज्यों के आधिक्य डॉक्टरों को ध्यान में न रखते हुए अखिल भारतीय रिक्तियों और कमी के आंकड़े राज्य-वार रिक्ति और कमी के जोड हैं।*

**: आधिक्य.*

[1] *आई पी एच एस के मानदंडों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक।*

[2] *रिक्ति के समग्र प्रतिशतता की गणना के लिए, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र, जहां पद उपलब्ध नहीं है, को शामिल नहीं किया गया है।*